

सरकारी संकल्प-- ✓

चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय बनाने के संबंध में

Mr. Speaker : Now, a Minister will move the Official Resolution.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move--

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid on the issue that there should be a separate High Court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an Article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of Article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch a separate High Court has been established invariably for each state.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from 1st November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court. States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own separate High Court.

3. And whereas during this long, period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there

been a separate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

"41. Savings. — Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution, and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurcation of Punjab and Haryana High Court and creation of a separate High Court for the State of Haryana. Since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17 May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objectives the Haryana Cabinet took up the matter in its meetings dated 23-11-2005 and resolved as under :--

"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) and Article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate Bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate Bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

Mr. Speaker : Motion moved--

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid of the issue that there should be a separate High Court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an Article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of Article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch a separate High Court has been established invariably for each state.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from 1st November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court. States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own separate High Court.

3. And whereas during this long, period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there been a separate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

"41. Savings. - Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution.

and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurcation of Punjab and Haryana High Court and creation of a separate High Court for the State of Haryana since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17th May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objectives the Haryana Cabinet took up the matter in its meetings dated 23-11-2005 and resolved as under :-

"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) and Article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate Bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate Bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central act 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

श्री एस०एस० सुरजेवाला (केथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई तथा मुबारकवाद देता हूँ कि हरियाणा को बने हुए 39 वर्ष गुजर चुके हैं और सरकार यह रैजोल्यूशन ले कर आई है। हालांकि यह रैजोल्यूशन इतना डिलेड और देर से आया है लेकिन देर आयद दुरूस्त आयद। (इस समय चेयरपर्सन की सूची में से माननीय सदस्य डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया और सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। सच बात तो यह है कि आज भी औद्योगिक रूप से हरियाणा की ऑल राउण्ड तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। वैसे तो मैं कोई कन्ट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता लेकिन मेरी यह धारणा है कि हरियाणा प्रदेश की अपनी सैपरेट कैपिटल होनी चाहिए। यह बात मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि हरियाणा का हाई कोर्ट अगर सैपरेट हो जाएगा तो हरियाणा का चण्डीगढ़ से क्लेम खत्म हो जाएगा अगर खत्म न भी हो तो यह क्लेम

[एस०एस० सुरजेवाला]

कमजोर जरूर हो जाएगा। जो लोग इसका विरोध करने में लगे हुए हैं वे वही लोग हैं उसी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने पिछले 40 साल के अन्दर न तो हरियाणा के पानी का फैसला होने दिया और न ही हरियाणा के अलग हाई कोर्ट का फैसला होने दिया। तीन चार इण्टरस्टेट ईशूज को आपस में एन्टैंगल करके ये लोग हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करते रहे। सरकार ने आज जो शुरूआत की है उसके लिए मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूँ। इसमें 2-3 ईशूज हैं जिन पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। एक ईशू तो यह है जिस पर आज चर्चा आई है। हाई कोर्ट में इस समय हमारे केवल आठ जज हैं जबकि पंजाब के 29 जज हैं। मुझे सही गिनती तो पता नहीं हो सकती है 500 से लेकर 1000 के बीच क्लास-फोर, क्ल्यास-थ्री, क्लास-टू और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ड्राइवर और चपड़ासी से लेकर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट तक हरियाणा का नाममात्र का हिस्सा है। हरियाणा का जब कोई इम्प्लोई नहीं। हाईकोर्ट के जज बैठकर मुकदमों को सुनते हैं और उस पर कोई फैसला देते हैं जूडिशियल सिस्टम केवल इतना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इतने ज्यादा टायर ऑफ ऑफिसर हैं कि कौन-सा केस कब लगेगा, कौन सा केस अजैन्टली टेकअप होगा, कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, कौन सा मैटर देर से आएगा इन सारी चीजों का निर्णय हाई कोर्ट के जजिज नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों का फैसला करने के लिए हाई कोर्ट का बड़ा भारी स्टॉफ होता है। चेयरमैन सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रार टू डाउनवर्ड स्टॉफ का अल्टीमेटली उन केसों को सुनवाई तथा उनके फैसले पर बड़ा भारी असर पड़ता है। हमारे लोगों को जल्दी तथा सही इन्साफ मिले इसके लिए यह जरूरी है कि हाई कोर्ट में न केवल जजिज हरियाणा के हों बल्कि बाकी का सारा स्टॉफ भी हरियाणा का ही हो। यह मैं कहूंगा। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट बनेगा तो नैचुरली हमारा स्टॉफ होगा उसके लिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि संपरेट लिखने की जरूरत थी। दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें लोगली कॉम्प्लीकेशन हैं वे ये हैं कि हरियाणा हाईकोर्ट अगर चण्डीगढ़ में होगा तो जोगरोफिकली ज्यूरिडिक्शन केसी होगी। चेयरमैन सर, हाई कोर्ट कभी नोशनल तरीके से नहीं हुआ करती है और हाई कोर्ट का एक जोगरोफिकल एरिया है और वह उसी एरिया के मुकदमों सुन सकते हैं। यह नहीं है कि वह किसी और एरिये के मुकदमों भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह बात भी है कि अगर चण्डीगढ़ में हमारी हाई कोर्ट होगी तो यू.टी. के केसिज कहाँ जाएंगे। क्या पंजाब हाईकोर्ट सुनेगा या हरियाणा हाईकोर्ट सुनेगा या सिर्फ चण्डीगढ़ के लोगों को यह आजादी होगी कि वे किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं। हमारे हरियाणा के चण्डीगढ़ में जो इम्प्लोई हैं और हरियाणा के लोग चण्डीगढ़ से बाहर के हैं मैं समझता हूँ कि इस ईशू को लोगली, कॉन्स्टीयूशनली रिजोल्व करने की जरूरत है। हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में किसी भी जगह लोकेटिड हो ज्यूरिडिक्शन की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आज हमारी हाई कोर्ट हरियाणा से बाहर लोकेटिड है। गर्वनमेंट आफ इण्डिया को हरियाणा के ज्यूरिडिक्शन को कॉन्स्टीयूशनली रिजोल्व करना पड़ेगा। चेयरमैन महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि संपरेट हाईकोर्ट न होने की वजह से हरियाणा का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि मैं नहीं समझता कि उसकी भरपाई कभी हो सकेगी। जो भी इसके लिए दोषी हैं और जिन्होंने यह बात नहीं सोची, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आज सिस्टम यह है कि हमारे हरियाणा में हाई कोर्ट के जजिज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस होने चाहिए वे हमारे यहां पर नहीं हैं। हरियाणा में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार है और वह भी यू.टी. के साथ कॉमन है तथा उसमें हमारी पोजीशन इन्फोरियर है। इसलिए हमारे वकीलों को साईन करने के घौके नहीं मिलते हैं।

उसका नतीजा यह है कि बहुत से वकील दिल्ली चले जाते हैं। चेयरमैन सर, अगर हमारी हाई कोर्ट होती तो इन 39 सालों के असें में हमारे एडवोकेट आज सुप्रीमकोर्ट में भी बैच के ऊपर बैठे होते। आज बड़े ही अफसोस की बात है कि सुप्रीमकोर्ट की बैच पर हरियाणा का कोई भी जज नहीं है। यह जो हम लोग लैंग विहाइंड रहे हैं यह जो डेफिशिएंसी है यह जो कमी है यह इसलिए है कि हमारी अपनी हाई कोर्ट नहीं थी, हमारी अपनी बार नहीं थी। चेयरमैन सर, हाईकोर्ट का, ज्यूरिसडिक्शन का, बार का बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है। मैं केवल एम्फेसिस इस बात को करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हरियाणा की 39 सालों से अपना कैपीटल ही नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि हमारी अपनी कैपीटल न होने की वजह से हरियाणा सोशली, एजुकेशनली, कलचरली, सब-सफियरली में पीछे रहा है। हिन्दुस्तान में एक ही स्टेट है जिसकी अपनी कोई कैपीटल नहीं है। We are the headless State. हमारा कोई भी सिर नहीं है। आज चण्डीगढ़ में कितने ही इंटरनैशनल और नैशनल लेवल के इंस्टीच्यूशंस हैं। यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं और वें एजुकेशन लेने के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स में जैसे कि साइंस, आर्ट, मेडिशन इत्यादि है, मैं एडमिशन लेते हैं। लेकिन हरियाणा में इस तरह का कोई भी इंस्टीच्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि हरियाणा की अपनी कोई कैपीटल नहीं है। किसी भी प्रान्त को संस्कृति को, भाषा को और आर्ट को उभरने के लिये उस प्रान्त की कैपीटल ही ग्रोथ सेंटर होती है। चेयरमैन सर, गालिव जीन्द, कैथल और रोहतक जैसी जगह पर पैदा नहीं हो सकते थे। आज जितने आर्टिस्ट और कल्चरिस्ट्स हैं जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में शाईन किया है वह इसलिए किया है क्योंकि उनकी अपनी कल्चर है। हरियाणा की अपनी कोई पोयट्री नहीं है, हरियाणा का अपना कोई लिट्रेचर नहीं है इसलिए हरियाणा में अपनी लैंग्वेज के बल पर कभी भी किसी ने शाईन नहीं किया है। अभी भी हम इतनी प्रिमेच्योरड स्टेज पर हैं। लिखने की जो भाषा है, संस्कृति की जो भाषा है, आर्ट की जो भाषा है उसके बारे में मैं अगर यह कहूँ कि नैशनल लेवल का यहाँ से कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ, नैशनल लेवल का प्रिन्टर नहीं हुआ और न ही हरियाणा की कोई नैशनल लेवल पर अपनी कोई स्टेज है तो यह गलत नहीं होगा। आज पंजाब के जो गायक हैं, राईटर्ज हैं वह इंटरनैशनल लेवल के इसलिए हैं क्योंकि लाहौर पंजाब की सेंट्रल कैपीटल हुआ करती थी उस समय पंजाबी शिक्षा, आर्ट और कल्चर का बहुत ग्रोथ हुआ और अब चण्डीगढ़ भी पंजाब की संस्कृति को ही आगे ले जाने में सहायक हुआ है। चेयरमैन साहब, मैं सरकार से यह दरखास्त करूँगा कि हालाँकि हम इस मामले में बहुत लेट हो चुके हैं लेकिन अब भी हरियाणा की अपनी कैपीटल हरियाणा में होना बहुत जरूरी है। जो इंटर स्टेट और दूसरे मसले हैं इनको हमें एक दूसरे से टाईअप नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल अलहदा होने चाहिए। हरियाणा में पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एस.वाई.एल. कैनाल का मसला बहुत पहले ही रिजोल्व होना चाहिए था। आज भी अगर मैं यह कहूँ कि चूँकि भाषाई इलाकों का फैसला नहीं हुआ है या हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है या कैपीटल का फैसला नहीं हुआ है तो पानी का फैसला भी नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह हरियाणा के हितों का नुकसान कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं आज यह भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा और पंजाब के पंजाबी भाषी और हिन्दी भाषी जो टैरीटोरिज हैं उनको तुरन्त टेकअप करने की जरूरत नहीं है। 25 साल के लिए यह इशू प्रीज कर देने चाहिए कि कौन सा इलाका कहाँ जाएगा। आज न तो हरियाणा के लोगों के दिमाग में यह बात है और न ही पंजाब के लोगों के दिमाग में यह बात है। पानी का मसला प्रायोरिटी पर होना चाहिए। इसी तरह से हाई कोर्ट भी अलग बनना चाहिए क्योंकि इससे हरियाणा के लोगों का फायदा होगा। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जब तक हरियाणा की कैपीटल नहीं बनती तब तक हरियाणा

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

शिक्षा और साईस के जगत में पीछे हो रहेगा। हालांकि हरियाणा में जमीन की बहुत तरक्की हुई है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने हरियाणा में जमीन का नक्शा पूरी तरह से बदला है। यहाँ पर सड़कें बनायी गयी हैं और हर जगह बिजली भी तथा इंडस्ट्रीज भी हैं। लेकिन हरियाणा का जो ह्यूमन मैटीरियल है वह आज भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है इसलिए इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। चाहे कोई भी प्रान्त हो उसकी धरती का इतना नाम नहीं होता, हालांकि धरती भी महत्वपूर्ण है लेकिन किसी भी संस्कृति का नाम किसी जमीन के नाम पर नहीं है। वह ह्यूमनिज्म और इंसान ही हैं जिनका नाम होता है। इसलिए हरियाणा के इंसान को जागृत करने के लिए, दुनिया के लेवल पर लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार को ह्यूमन मैटीरियल पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। जब तक हमारी अपनी कैपिटल नहीं होगी तब तक हरियाणा में कल्चर और शिक्षा की घोष नहीं हो सकती है। कैपिटल ही इन चीजों का ग्रोथ सेंटर हो सकता है। चेंयरमैन साहब, इन सारी बातों के साथ अंत में मैं इस प्रस्ताव का स्पॉर्ट करता हूँ और सरकार को एक बार फिर इसके लिए मुबारकवाद देता हूँ। धन्यवाद।

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time for the House is extended for 15 minutes.

सरकारी संकल्प - (पुनराारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह सहयोग की बात है। हमने तो एस.वाई.एल. के बारे में भी बार-बार कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें ही रहीं। (विष्णु)

डॉ० सुशील इन्दोरा : अध्यक्ष महोदय, हम खुले दिल से इनके साथ हैं लेकिन ये अलग हाई कोर्ट बनाकर तो दिखाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात ये पहले ही कह देते तो इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं थी। मैं कह देता कि उसी वक्त इस प्रस्ताव को पास कर दो। बनता तो यह था कि जिस समय यह प्रस्ताव आया था उसी समय यह कहते कि हम आपके साथ हैं लेकिन कभी तो इन्होंने कहा कि इसकी लैंग्वेज में फर्क है कभी कहा कि आज तो नोन ऑफिशिएल-डे है। सरकार जो यह प्रस्ताव लेकर आज हाउस में आई है इनको इसकी महत्ता को समझना चाहिए। (विष्णु) इनकी बहुत मेहरबानी, फिर तो इस पर कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। हम इस मामले में जो भी फैसला करेंगे उसमें इनको हमारा साथ देना चाहिए ताकि हरियाणा का हित हो और इस प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी को समय पर न्याय मिले। अध्यक्ष महोदय, यही हमारी प्राथमिकता भी है। इन शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है और मेरा सभी सदस्यों से निवेदन भी है कि सारे सदस्य एक साथ एक स्वर में पूरे जोश से इस प्रस्ताव का समर्थन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is --

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid of the issue that there should be a separate High court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch as a separate High Court has been established invariably for each State.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from 1st November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later

[Mr. Speaker]

than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own separate High Court.

3. And whereas during this long period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there been a separate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

"41. Savings. — Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution, and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurcation of Punjab and Haryana High Court and creation of a separate High Court for the State of Haryana since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17th May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objective the Haryana Cabinet took up the matter in its meeting dated 23-11-2005 and resolved as under :-

"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act, 31 of 1966) and article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act, 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday the 19th December, 2005.

***13.36 Hrs.** (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 19th December, 2005.